स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 106, दिनांक 13–04–2024

VOIP Call के माध्यम से विभिन्न उच्चाधिकारियों के सीयूजी नम्बर का प्रदर्शित कराकर (Call Spoofing) अधिकारियों से अनाधिकृत पैरवी करने व कराने वाले मास्टर माइंड सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांकः 13–04–2024 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को VOIP Call के माध्यम से विभिन्न उच्चाधिकारियों (मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार के निजी सचिव, माननीय लोक निर्माण मंत्री उ0प्र0 सरकार के निजी सचिव व मा0 ऊर्जा एवं अतिरिक्त उर्जा श्रोत मंत्री उ0प्र0 सरकार के निजी सचिव) के सीयूजी नम्बर को प्रदर्शित कराकर (Call Spoofing) अधिकारियों से अनाधिकृत पैरवी करने व कराने वाले मास्टर माइंड सहित 02 अभियुक्तों को लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– अन्वेश तिवारी पुत्र कुंवर बहादुर तिवारी निवासी 156 ए पिरखौली थाना रौनाही जनपद अयोध्या। (**मास्टरमाइंड**)

2– कप्तान तिवारी पुत्र स्व0 प्रताप नारायण तिवारी निवासी 156 ए पिरखौली थाना रौनाही जनपद अयोध्या।

बरामदगी–

1– 4 अदद मोबाइल फोन।
2– 06 अदद एटीएम/क्रेडिट कार्ड।
3– 01 अदद लैपटाप।
4– 01 अदद आधार कार्ड।
5– 01 अदद पैन कार्ड।
6– 01 अदद डीएल।
7– 01 अदद उ0प्र0 मीडिया डायरेक्ट्री (इसी के माध्यम से अधिकारियों के नम्बर प्राप्त करता था।)
8– रू0 2200/– नकद।
9– 01 अदद टाटा टियागो कार।
10– 23 वर्क प्रिंट आउट indycall app व Whatsapp का डेटा।

गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समयः– दिनांकः 13–04–2024 **स्थानः** कमता तिराहा अयोध्या रोड लखनऊ **समयः** 14:45 बजे ।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से **VOIP Call** के माध्यम से काल कर विभिन्न उच्चाधिकारियों के सीयूजी नम्बर को प्रदर्शित कराकर (Call Spoofing) अधिकारियों से अनाधिकृत पैरवी करने वाले संगठित गिरोहों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित साइबर टीम द्वारा

अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसचूना तन्त्र को सक्रिय किया गया। एसटीएफ टीम द्वारा निरीक्षक श्री संजय सिंह के नेतृत्व में उपरोक्त प्रकरण पर तकनीकी विशेषज्ञता एवं मुखबिर के माध्यम से सूचना संकलित करते हुए आज दिनांक 13–04–2024 को समय करीब 14:45 बजे उपरोक्त संगठित गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 02 अभियुक्तों को कमता तिराहा अयोध्या रोड लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ मे गिरोह के मास्टरमाइंड अन्वेश तिवारी उपरोक्त ने बताया कि मैने वर्ष 2018 में डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से Master of Computer Application करने के बाद freelancer software developer के रूप में व वर्ष 2023 में खुद की कम्पनी Laraware pvt. Ltd. बनायी अब तक मैने स्कूल व Financial technology के लगभग 3000/ Software बनाये हैं। वर्ष 2022 में Internet के माध्यम से मुझे Indycall App की जानकारी मिली जिसके माध्यम से किसी भी नम्बर को प्रदर्शित (Call Spoofing) कर काल किया जा सकता था। इसकी जानकारी मैने अपने चाचा कप्तान तिवारी को दी। मेरा परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमि से है, ग्राम प्रधानी हमारे यहॉ पैत्रिक रूप से है मेरे चाचा भी पूर्व में प्रधान रह चुके हैं। वर्ष 2023 में मेरे चाचा द्वारा बताया गया कि एसडीएम सोहावल को उसी Indycall App के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री के निजी सचिव का मो0न0 प्रदर्शित कराकर फोन कर दो व कह दो कि गांव में बन रही नाली को रोक दें। मेरे द्वारा मा0 मुख्यमंत्री के निजी सचिव बनकर एसडीएम सोहावल के मोबाइल पर मा0 मुख्यमंत्री के निजी सचिव का मो0न0 प्रदर्शित कराकर (Call Spoofing) नाली को रोके जाने हेतु कहा गया। इसके बाद मैने अपने चाचा कप्तान तिवारी के कहने पर ही दिनांक 14/06/2023 को डीसी मनरेगा अयोध्या के मो0न0 पर Indycall App से VOIP काल कर मा0 मुख्यमंत्री के निजी सचिव का नम्बर प्रदर्शित कराकर ग्राम सभा पिरखौली द्वारा संचालित गोशाला में जॉच के दौरान पाई गयी कमियों के विरूद्ध कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में कहा। वर्ष 2022 में फिनटेंक कम्पनी बरेली को साफ्टवेयर बना कर दिया गया था। साफ्टवेयर बनने के बाद साफ्टवेयर का सम्पूर्ण प्रभार उनको सौंप दिया। जिसके लिए फिनटेंक कम्पनी बरेली द्वारा मेरे बैंक खाते में 08 लाख रूपये जमा किया गया परन्तु हिसाब करने पर मेरा 6.50 लाख हुआ था, जिसके बाद मैने एक लाख पचास हजार वापस कर दिया। उपरोक्त कम्पनी से विवाद हो जाने के कारण उनके द्वारा पूरा पैसा वापस करने का दबाव बनाने हेतु मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0 23/2023 धारा 406 भादवि थाना इज्जतनगर जनपद बरेली में पंजीकृत करा दिया गया। जिसमें पैरवी हेतु मैने उसी Indycall App के माध्यम से दिनांक 22/02/2024 को प्रभारी निरीक्षक इज्जत नगर जनपद बरेली के मो0 न0 पर VOIP काल कर मा0 मुख्यमंत्री के निजी सचिव का मो0न0 प्रदर्शित कराकर (Call Spoofing) मु0अ0स0 23/2023 धारा 406 भा0द0वि0 के अभियुक्त–गण अवनेश तिवारी व आरती प्राण्डेय निवासीगण 156–ए पिरखौली बडागांव अयोध्या तथा विनीत कुमार निवासी नाथू मिश्रा का पुरवा मजरे पंडितपुर अयोध्या व खुश्बू पता अज्ञात के विरूद्ध कोई कार्यवाही न करने का निर्देश दिया। इसी तरह मेरे द्वारा डीसी मनरेगा अयोध्या, एसडीएम सोहावल, वीडियो सोहावल, इन्सपेक्टर इज्जतनगर बरेली, सीएमएस अयोध्या सहित दर्जनों अधिकारियों को मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार के निजी सचिव, माननीय लोक निर्माण मंत्री उ0प्र0 सरकार के निजी

सचिव व मा0 ऊर्जा एवं अतिरिक्त उर्जा श्रोत मंत्री उ0प्र0 सरकार के निजी सचिव के Indycall App के माध्यम से मो0न0 प्रदर्शित कराकर (Call Spoofing) उनका प्रतिरूपण कर फोन किया गया है। मेरे चाचा के पास उत्तर प्रदेश मीडिया फोन डायरेक्ट्री है उसी से देख कर बताते है कि किस अधिकारी का क्या नम्बर व नाम है जिस नम्बर को प्रदर्शित कराकर उसके नाम से अनाधिकृत तरीके से पैरवी का काम किया जाता है। पूछताछ में कप्तान तिवारी उपरोक्त द्वारा अन्वेश की बातों का समर्थन करते हुए बताया गया कि वह पूर्व में ग्राम प्रधान रह चुका है। अन्वेश ने मुझे Indycall App दिखाया जिसके माध्यम से किसी के भी नम्बर को प्रदर्शित कर (Call Spoofing) काल किया जा सकता था। उससे मुझे लगा कि किसी भी अधिकारी को फोन कराकर पैरवी करायी जा सकती है क्योंकि मै प्रधान प्रतिनिधि हूँ आये दिन अधिकारियों से काम पड़ता रहता है। मैने अपने जानने वालों में यह बात फैला दी की मेरी शासन में जान पहचान है, मेरे कहने पर शासन से किसी भी अधिकारी को फोन आ जाता है। यह काम हम लोग 2023 से कर रहे हैं। अभियुक्तों से बरामद इलेक्ट्रानिक उपकरणों का फारेंसिक परीक्षण कराया जायेगा।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना चिनहट कमिश्नरेट लखनऊ में मु0अ0सं0 163/2024 धारा 34/170/419/420 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराकर दाखिल किया गया है। अग्रेतर विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।